न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 14/2021, जिला सीकर

1. हनुमान प्रसाद पुत्र मोहर चन्द जाति यादव निवासी ग्राम मोहनपुरा उर्फ खरकडा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज0।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. सरदार सिंह पुत्र मोहरसिंह
2. रामस्वरूप पुत्र त्रिलोक
3. महावीर पुत्र त्रिलोक
4. विक्रम पुत्र त्रिलोक समस्त निवासी ग्राम मोहनपुरा उर्फ खरकडा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज0।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 26.02.2021 प्रकरण संख्या 274/2018 बउनवानी सरदार सिंह बनाम भूमिधारी तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर।

उपस्थित—

1. वकील अपीलान्ट श्री बंशीधर जाट
2. वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1 से 4 श्री सीताराम यादव
3. वकील रेस्पोडेन्ट नं. 5 श्री चन्दशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय

दिनांक —22.06.2022

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी नीमकाथना के निर्णय दिनांक 26.02.2021 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :—

यह कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के द्वारा रेस्पोडेन्ट 5 के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर के समक्ष प्रस्तुत किया कि खसरा नं0 971/1, 779/4 , 980, 981/1 , 985/3, 987/1 कुल किता 6 कुल रकबा 1.96 हैक्टेयर वाके ग्राम पाटन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर की सम्पूर्ण खातेदारी प्राथी नं0 1 के नाम तथा खसरा नं0 966, 967/2, 968/1, 969/2, 970/1480 कुल किता 6 कुल रकबा 1.26 हैक्टेयर की खातेदारी प्रार्थी नम्बर 2 लगायत 4 के नाम है तथा खसरा नम्बर 971/3, 972/2, 973/2, 974 , 975, 976, 978, 979/2, 979/5, 988/2, 989 कुल किता 11 कुल रकबा 2.12 हैक्टेयर की खातेदारी प्रार्थी नम्बर 2 लगायत 4 के नाम दर्ज है। उक्त वर्णित भूमि के सीमाज्ञान बाबत पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर पता चला कि उक्त भूमि के पुराने खसरा नम्बर के नक्शा ट्रेस के स्थान पर लिपिकीय भूल के कारण से सेटलमेन्ट के बाद जारी किये गये नक्शा ट्रेस में गलत नक्शा का इन्द्राज किया गया। मौके पर रिकार्ड में अंकन अनुसार नये नक्शे में क्षेत्रफल में फेरबदल कर दिया गया। जबकि सेटलमेन्ट से पूर्व के नक्शे के अनुसार जमाबन्दी में अंकितानुसार क्षेत्रफल का सही अंकन है। सेटलमेन्ट के बाद जारी नक्शे में संशोधित करते हुये सही अंकन करवाया जाना न्यायोचित है क्योंकि यह एक लिपिकीय भूल है। अतः उक्त वर्णित भूमि के नक्शे को सेटलमेन्ट से पूर्व के नक्शे अनुसार दुरूस्त किया जावे। सीमाज्ञान बाबत पटवारी से सम्पर्क करने नक्शे में फेरबदल होने की जानकारी होने पर प्रार्थना पत्र पेश कर वर्णित भूमि के नक्शे को सेटलमेन्ट से पूर्व के नक्शे अनुसार दुरूस्त किये जाने की प्रार्थना किये जाने पर उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर ने अपीलाधीन

Scanned by CamScanner

निर्णय दिनांक 26.02.2021 में पारित किया कि तहसीलदार नीमकाथाना की जॉच रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेश दिया गया निर्णय व डिक्री दिनांक 11.09.2013 के अमल दरामद के वाद संधारित पुराने नक्शे एवं हाल नक्शे में स्पष्ट रूप से अन्तर है। तहसीलदार नीमकाथाना की रिपोर्ट 24.06.2019 व नायब तहसीलदार, दो भू.अ.निरीक्षक, दो पटवारियान की संयुक्त रिपोर्ट फर्द दिनांक 09.01.2017 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि साबिक व हाल खसरा नम्बरान का रकबा सही है किन्तु साबिक व हाल नक्शे में खसरा नम्बरान की आकृतियों में अन्तर है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकार्ड, दस्तावेजात से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण बाबत दुरूस्ती साबित होने से स्वीकार किया जाकर जाना उचित है। तथा ग्राम पाटन पटवार हल्का पाटन तहसील नीमकाथाना में स्थित उपरोक्त वादग्रस्त आराजी के हाल राजस्व नक्शे को साबिक नक्शे अनुसार दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये गये।

उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 26.02.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट हनुमान प्रसाद पुत्र मोहर चन्द द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर दिनांक 26.02.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम पाटन पटवार हल्का पाटन तहसील नीमकाथाना में स्थित उपरोक्त विवादित वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र अस्पष्ट था गत खसरा नम्बरान का उल्लेख नहीं किया गया तथा ना ही यह उल्लेख किया गया तो किस दिशा में नक्शा कम किया गया है व जो नक्शा कम किया गया है उसका हिस्सा किस खातेदार के दर्ज किया है। इस बिन्दु व तथ्य का उल्लेख अपीलाधीन निर्णय में भी नहीं किया गया है इस कारण अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत तहसीलदार रिपोर्ट में भी इस तथ्य का खुलासा नहीं किया गया कि किस पडौसी खातेदार का रकबा कम किया जाकर विवादित भूमि के किस खसरा नम्बर में मिलाया जाकर नक्शा दुरूस्त किया जावे। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सह खातेदार थे जिनके मध्य विभाजन किया जाकर नक्श ट्रेस में अलग–अलग तरमीम कर दी गई तथा विभाजन की डिक्री की किसी भी पक्षकार द्वारा अपील नहीं की गई इस कारण भी अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कहना था कि धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत केवल राजस्व अभिलेख में रही लिपिकीय त्रुटि को ही पक्षकारों की सहमति के आधार पर दुरूस्त किये जाने का प्रावधान है। उनका कहना था कि यदि रेस्पोंडेन्ट को विवादित भूमि में हिस्से परिवर्तन कराने थे तो उन्हें अपीलान्ट एवं अन्य सहकृषकों को पक्षकार बनाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व 89 के तहत सक्षम न्यायालय में दावा प्रस्तुत करना चाहिये था, जो नहीं कर धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलाधीन आदेश पारित कराया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर दिनांक 26.02.2021 निरस्त किया जावे।

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि खसरा नं0 971/1, 779/4 , 980, 981/1 , 985/3, 987/1 कुल किता 6 कुल रकबा 1.96 हैक्टेयर वाके ग्राम पाटन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर की सम्पूर्ण खातेदारी प्रार्थी नं0 1 के नाम तथा खसरा नं0 966, 967/2, 968/1, 969/2, 970/1480 कुल किता 6 कुल रकबा 1.26 हैक्टेयर की खातेदारी प्रार्थी नम्बर 2 लगायत 4 के नाम है तथा खसरा नम्बर 971/3, 972/2, 973/2, 974 , 975, 976, 978, 979/2, 979/5, 988/2, 989 कुल किता 11 कुल रकबा 2.12 हैक्टेयर की खातेदारी प्रार्थी नम्बर 2 लगायत 4 के नाम दर्ज है। उक्त वर्णित भूमि के

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

सीमाज्ञान बाबत पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर पता चला कि उक्त भूमि के पुराने खसरा नम्बर के नक्शा ट्रेस के स्थान पर लिपिकीय भूल के कारण से सेटलमेन्ट के बाद जारी किये गये नक्शा ट्रेस में गलत नक्शा का इन्द्राज किया गया। मौके पर रिकार्ड में अंकन अनुसार नये नक्शे में क्षेत्रफल में फेरबदल कर दिया गया। जबकि सेटलमेन्ट से पूर्व के नक्शे के अनुसार जमाबन्दी में अंकितानुसार क्षेत्रफल का सही अंकन है। सेटलमेन्ट के बाद जारी नक्शे में संशोधित करते हुये सही अंकन करवाया जाना न्यायोचित है क्योंकि यह एक लिपिकीय भूल है। अतः उक्त वर्णित भूमि के नक्शे को सेटलमेन्ट से पूर्व के नक्शे अनुसार दुरूस्त किया जावे। सीमाज्ञान बाबत पटवारी से सम्पर्क करने नक्शे में फेरबदल होने की जानकारी होने पर प्रार्थना पत्र पेश कर वर्णित भूमि के नक्शे को सेटलमेन्ट से पूर्व के नक्शे अनुसार दुरूस्त किये जाने की प्रार्थना किये जाने पर उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.02.2021 में पारित किया कि तहसीलदार नीमकाथाना की जॉच रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेश दिया गया निर्णय व डिक्री दिनांक 11.09.2013 के अमल दरामद के बाद संधारित पुराने नक्शे एवं हाल नक्शे में स्पष्ट रूप से अन्तर है। तहसीलदार नीमकाथाना की रिपोर्ट 24.06.2019 व नायब तहसीलदार, दो भू.अ.निरीक्षक, दो पटवारियान की संयुक्त रिपोर्ट फर्द दिनांक 09.01.2017 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि साबिक व हाल खसरा नम्बरान का रकबा सही है किन्तु साबिक व हाल नक्शे में खसरा नम्बरान की आकृतियों में अन्तर है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकार्ड, दस्तावेजात से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण बाबत दुरूस्ती साबित होने से स्वीकार किया जाकर जाना उचित है। तथा ग्राम पाटन पटवार हल्का पाटन तहसील नीमकाथाना में स्थित उपरोक्त वादग्रस्त आराजी के हाल राजस्व नक्शे को साबिक नक्शे अनुसार दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये गये। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत केवल राजस्व अभिलेख में रही लिपिकीय त्रुटि को ही पक्षकारों की सहमति के आधार पर दुरूस्त किये जाने का प्रावधान है। राजस्व नक्शा (Revenue Map) एक महत्वपूर्ण राजस्व दस्तावेज है एवं इसमें किसी प्रकार का संशोधन किए जाने से यदि किसी ख.नं. का रकबा बढ रहा है तथा अन्य ख.नं. का रकबा कम हो रहा है तो इस तरह का अनुतोष सम्बन्धित की सहमति के बिना धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत के तहत किया जाना विधिसम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में यह भी अंकन नहीं है कि किस ख.नं. में कितना रकबा बढ रहा है तथा किस ख.नं. में कितना रकबा कम हो रहा है। यदि रेस्पोडेन्ट को विवादित भूमि में हिस्से परिवर्तन कराने थे तो उन्हें प्रभावित खातेदारों को पक्षकार बनाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व 89 के तहत सक्षम न्यायालय में दावा प्रस्तुत करना चाहिये था, जो नहीं कर धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलाधीन आदेश पारित कराया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर दिनांक 26.02.2021 निरस्त किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ. गिरीश पाराशर)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner